Impact Factor-8.575 (SJIF) ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Single Blind Peer-Reviewed & Refereed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

SOCIAL REFORMERS IN INDIA

February -2023

ISSUE No- (CCCXCVII) 397-D

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor
Dr. Baliram Pawar
Head, Department of Sociology
Mahatma Phule College Kingaon Latur
Maharashtra

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar Publications

Scanned with OKEN Scanner

INDEX –D

No.	Title of the Paper	Authors' Name	Page No.
1	Role Of Information Technology In Rural Social Development In India	Dr. Surendra.K	1
2	Raja Ram Mohan Roy- A Man of Many Hats	Dr Sunita Malik	5
3	Ravindra Nath Tagore: A Great Social Reformer	Dr. Anil Kumar Dubey	9
4	Analysis Gandhi's Concept On Satyagraha.	Dr.Kakali Borah	15
5	Rabindranath Tagore's Contribution in Indian Education system	Dr. Rumpa Das , Prasenjit Paul	18
6	A Critical Study of Amitav Ghosh's Sea of Poppies	Dr. Prabhakar Shivraj Swami	21
7	Contribution of Indian Constitution to Human Rights: A Birds View	Shrishail Hatti , M.I.Biradar	24
8	Gautam Buddha – A Social Reformer	Shubhashini Chandrasekar	28
9	Human Rights: Concept And Ambit	Dr. Anand C. Nadavinamani	33
10	Unlocking Financial Potential: Analyzing Knowledge and Investment Habits for a Better Future-A case study on the state of West Bengal	Arna Ray	36
11	Impact analysis of white color crimes	Mr.N. Meenakshisundaram , Tmt.C.Subashini	42
12	भारतीय संविधान आणि मानवाधिकार	डॉ. सय्यद आर आर	44
13	मानवी हक्क आणि महिला	प्रा. डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण	48
14	संत गाडगेबाबा यांचे शैक्षणिक कार्य	डॉ. लक्ष्मी विष्णू भंडारे	50
15	शेती क्षेत्रात महिलांचा वाढता सहभाग : एक दृष्टिक्षेप	प्रो. बच्चेवार नामदेव विठ्ठलराव	54
16	संत जनाबाईच्या अभंगातील श्री मनाचे चित्र	प्रा.पांडुरंग पंढरी कांबळे	57
17	बुद्धकालीन आदर्श स्त्री : यशोधरा	प्रा. डॉ. सारिका विष्णू केदार	60
18	संत कबीर जी के काव्य का सांगीतिक दृष्टिकोण	डॉ.प्रेम लाल	64
19	डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचार	श्रीमती सोनाली ठाकुर	69
20	महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुये अपराधों की उत्पति		73

Scanned with OKEN Scanner

	राम प्रकाश दीक्षित	
21	बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के दलितोत्थान विचारों की वर्तमान में प्रासंगिकता डॉ. अशोक कुमार निगम	77
22	साहित्य में स्त्री विमर्श अनुराधा रामकिशन रौंदळे	81
23	राजा राममोहन राय के सामाजिक और धार्मिक विचार डॉ सूर्यकांत शर्मा ,डॉ. देवपाल	84
24	स्वामी विवेकानंद के शैक्षणिक विचारों की अभिव्यक्ति पायल कुमारी बड़ाईक	87
25	अब्बासी समुदाय: एक ऐतिहासिक अध्ययन डॉ.राजेश कुमार सिंह , फरहा नाज़	91
26	सावित्रीबाई फुले की भूमिका डॉ. बसंती चौहान	96
27	भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महिला उत्थान संबंधी विचार श्रीमती मीनाक्षी कोरी	99
28	महिलाओं की भूमिका: संघर्ष, समाज और कानून; एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण डॉ. रमेश चंद्र अहारी	103
29	स्वतंत्रता आंदोलन में भोगीलाल जी पंड्या का योगदान वासुदेव यादव	107

Scanned with OKEN Scanner

B.Aadhar Peer-Reviewed & Refereed Indexed Multidisciplinary International Research Journal

Impact Factor -(SJIF) –8.575, Issue NO, (CCCXCVII) 397 D

ISSN : 2278-9308 February 2023

अब्बासी समुदाय: एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. राजेश कुमार सिंह , फरहा नाज़

सार

जाति भारतीय सामाजिक संरचना का मूल तत्व रही है। आदि काल से ही भारत में जाति प्रथा का प्रचलन रहा है। भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः भारत जातियों एवं समुदाय की परम्परागत स्थली माना जाता है और यहाँ शायद ही कोई सामाजिक समूह ऐसा हो जो इसके प्रभाव से मुक्त हो। अतः मुस्लिम समाज भी इससे अछूता नहीं रहा है। मुसलमानों में भी जाति से जुड़ी विशेषताएं पाई जाती है। यहाँ भी जाति संस्तरण से जुड़ी ऊँच-नीच और विषमताएं मौजूद है। जातियाँ एक दूसरे के सापेक्ष अपने अधिकारों के सन्दर्भ में उच्च या निम्न संस्तरण पर अवस्थित होती है। अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत आने वाला अब्बासी समुदाय भी मुस्लिम जाति-व्यवस्था के निचले पायदान पर आता है। परम्परागत रूप से इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत निम्न रही है। अब्बासी समुदाय के परम्परागत पेशे को समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। यद्यपि वर्तमान में अब्बासी समुदाय आमतौर पर परम्परागत पेशे से नहीं जुड़ा है। फिर भी जाति से जुड़े विषमता के दंश आज भी झेलने पड़ते हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में अब्बासी समुदाय के ऐतिहासिक अध्ययन के द्वारा इनकी सामाजिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द- अब्बासी, भिस्ती, जाति, पिछड़ी जाति।

प्रस्तावना :

जाति भारतीय सामाजिक संरचना का मूल तत्व रही है। परम्परागत रूप से सामाजिक संरचना विभिन्न जातीय समुदायों में विभक्त रही है। प्रत्येक जाति समुदाय की सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट स्थिति रही है। जातियाँ एक दूसरे के सापेक्ष अपने अधिकारों के सन्दर्भ में उच्च या निम्न संस्तरण पर अवस्थित रही हैं। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न संस्तरण पर अवस्थित जातियों के उन्नयन को लेकर बहुत सी कल्याणकारी और विकास योजनाओं को लागू किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गो के अन्तर्गत आने वाला अब्बासी समुदाय भी मुस्लिम जाति-व्यवस्था के निचले पायदान पर आता है। परम्परागत रूप से इनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति बहुत निम्न रही है। उत्तराखण्ड का अब्बासी समुदाय अन्य पिछड़े वर्गो की केन्द्रीय सूची में सक्का-भिस्ती, भिस्ती-अब्बासी के रूप में दर्ज है।[1]

मुसलमानों में जाति-

दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में सामाजिक संरचना में अलग-अलग तरह की असमानताएं और संस्तरण पाए जाते रहे हैं। भारतीय सन्दर्भ में यह जाति की परिघटना के रूप में मौजूद है। भारतीय समाज परम्परागत रूप से बहुत सी जातियों और समूहों में विभक्त रहा है। इस सभ्यता के सम्पर्क में आने वाले विभिन्न धर्मा में भी जाति से मिलते जुलते लक्षणों वाले समुदाय मौजूद रहे है। इस सम्बन्ध में इस्लाम धर्म भी इससे अछूता नहीं रहा है। तमाम इस्लामिक प्रस्थापनाओं के विपरीत मुसलमानों में भी जातिगत संस्तरण और उससे जुड़ी वंचनाएं और विशेषाधिकार व्याप्त है। अरब इतिहासकार इब्न खाल्दून (Ibn Khaldun) ने इस्लाम से पूर्व अरबवासियों में वंश एवं पद पर आधारित संस्तरण का उल्लेख किया है, किन्तु इस्लाम के उदय के बाद मुस्लिम समाज में समानता पर भी बल दिया गया है। एक लम्बे समय तक हिन्दू एवं मुस्लिम संस्कृतियों के बीच सम्पर्क के कारण दोनों में आर्थिक, धार्मिक व सार्वजनिक क्षेत्रों में तथा कला, साहित्य, खान-पान, वेशभूषा एवं राजनीति में बहुत कुछ आदान प्रदान हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारतीय समाज व्यवस्था की बहुत सी सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी मुस्लिम संस्कृति के साथ घुल-मिल गई, जाति व्यवस्था भी उनमें से एक है।

हसन अली के अनुसार "स्थानीय मुसलमानों की बिरादरी या जाति व्यवस्था हिन्दू जाति के समान ही है। भारत के मुसलमानां में न केवल वर्ग पाए जाते हैं, अपितु हिन्दुओं के समान जातियाँ भी पाई

Scanned with OKEN Scanner

जाती है। हिन्दू जातियों के समान मुस्लिम जातियों में भी प्रायः जातिगत समस्त लक्षण पाए जाते हैं"[2]। नजमुल करीम ने लिखा है कि "भारत के मुसलमानों ने हिन्दुओं की नकल करते हुए मुस्लिम समुदाय को चार भागों में वर्गीकृत किया हैं"[3] -

1. सैयद
2. मुगल
3. शेख
4. पठान।

कनिंघम ने भी लिखा है कि भारत के मुसलमानों ने अपने को हिन्दुओं की तरह चार भागों में विभक्त किया है।[4] डॉ0 अन्सारी ने उत्तर प्रदेश की मुस्लिम जातियों की गणना इस प्रकार से की है-

1. अशरफ (सैयद, शेख, मुगल तथा पठान)
2. मुस्लिम राजपूत,
3. पाक व्यावसायिक जातियाँ (जुलाहा ,दर्जी, भिस्ती, कसाई, नाई अथवा हज्जाम, कबाड़ियां या कूंजड़ा कुम्हार, मनिहार, विरासी, धुनिया, धोबी और गद्दी)
4. नापाक जातियाँ (भंगी)

ए0 के0 नजमुल करीम ने बंगाल के मुसलमानों को निम्नांकित वर्णित भागों में बांटा है[5] -

1. शरीफ या अशरफ (Noble Born)
2. अतरफ या अजलफ (Low Born)

अशरफ में वे मुसलमान आते हैं जो उच्च जाति के माने जाते हैं। वे निम्न सेवाऐं नहीं करते तथा हल पकड़ना भी अच्छा नहीं समझते हैं। समाज में इन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।

अजलफ के अन्तर्गत निम्न जाति के मुसलमान आते हैं, जैसे मोमीन, मन्सूरी, इब्राहिमी आदि भारत में पिछड़े हुए मुस्लिम या मुस्लिम अस्पृश्य पाए जाते हैं, परन्तु हिन्दुओं की भांति अब मुसलमानों में भी अस्पृश्यता समाप्त हो रही हैं। प्रथम बार 1921 में बिहार तथा उड़ीसा की जनगणना में मुस्लिम जातियों का वर्गीकरण किया गया था। वर्ष 1921 की जनगणना के अनुसार शेख, सैयद, पठान उच्च जाति तथा दर्जी, धुनिया, फकीर, हज्जाम, जुलाहा व कलाल आदि निम्न जातियाँ हैं।

दूसरे अर्थो में भारतीय मुसलमानों में पायी जाने वाली जातियों को डॉ0 आर0 एन0 सक्सेना ने तीन बड़े भागों में विभक्त किया हैं[6] -

प्रथम श्रेणी - इसके अन्तर्गत वे जातियाँ आती हैं जो पूणर्तः मुसलमान हो गई हैं। इनका निर्माण उन लोगों से हुआ है जो आंशिक रूप से या पूर्णरूप से मुसलमान बन गए थे। इस श्रेणी में भांड, भठिहारा, अब्बासी, घोसी और किगारिया आदि जातियाँ आती हैं।

द्वितीय श्रेणी - वे जातियाँ, जिन पर हिन्दू और मुसलमान दोनों शाखाओं का प्रभाव हैं, किन्तु जिनमें इस्लाम की प्रधानता है। इसमें चूड़िहार, मनिहार, दर्जी, धुनियां ,कूंजड़ा, मलखान, रंगरेज, मुसलमान हलवाई और नाई आदि जातियाँ आती हैं।

तृतीय श्रेणी - इसमें वे जातियाँ आती हैं जिन पर मुसलमानी शाखा की तुलना में हिन्दुओं का प्रभाव अधिक है। इनमें अहीर, बहेलिया, बनजारा, भंगी, नट, तेली, गुज्जर, राजपूत और मुनार आदि जाति आती हैं।

अब्बासी समुदाय

अन्य जाति समुदायों के ही समान अब्बासी मुस्लिम समुदाय की उत्पत्ति तथा सामाजिक संरचना संगठन में एकाधिक विशिष्ट विशेषताऐं देखने को मिलती हैं। शेख अब्बासी दक्षिण ऐशिया के पारम्परिक जल वाहक है। केंद्रीय सरकार की सूची में भिस्ती जाति दर्ज है। भिस्ती शब्द फारसी शब्द बहिश्त से लिया गया है। जिसका अर्थ स्वर्ग होता है। युद्व में मुस्लिम सैनिको की सेवा करने के कारण समुदाय को यह नाम दिया गया है। गर्मी में तप रहे लोगों, पशुओं तथा युद्वरत मुस्लिम सैनिकों को मशक से पानी पिलाने के कारण उनके समुदाय को यह नाम दिया गया हैं।

शेख अब्बासी अरब जाति हजरत अब्बास से सम्बन्धित है, जो कि मुस्लिम समुदाय के आखिरी नबी (पैगम्बर) हजरत मौहम्मद मुस्तफा के चचा है। अब्बासी मुस्लिम बिरादरी है, जो कि उत्तर भारत,

Scanned with OKEN Scanner

पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जिनको अब्बासी, सक्का, भिस्ती एवं धुंद अब्बासी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस बिरादरी को पखली के नाम से भी जाना जाता है। कालान्तर में भिस्ती शब्द को उसके काम को लेकर नीची दृष्टि से देखा जाने लगा है। इसलिए इस जाति के लोग अपने आपको अब्बासी कहलाना ज्यादा पसंद करने लगे है।

आमतौर पर अब्बासी समुदाय के लोगों ने अपना परम्परागत भिस्ती का कार्य छोड़ रखा हैं। फिर भी कहीं-कहीं आज भी भिस्तियों के द्वारा पानी पिलाने का कार्य किया जाता हैं। प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र 'द हिन्दू' में दिल्ली में मोहम्मद इस्माइल का जिक्र है, जो कि वहाँ के एक आखिरी भिस्तियों में से एक है। जिनको अपना परम्परागत कार्य करते हुए देखा गया है। वह वहाँ पास ही के कब्रिस्तान जो 100 साल पुराना है, को मश्क की सहायता से तरो ताज़गी देने और जामा मस्जिद की आस पास की दुकानों पर मश्क से पानी पिलाने का कार्य करते है।[7] उत्तराखण्ड के नैनीताल, देहरादून, पौढ़ी गढ़वाल, तथा उधमसिंह नगर जनपदों के तराई क्षेत्रों मे अब्बासी (भिस्ती) मुस्लिम जाति निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से तराई क्षेत्र में अवस्थित हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, बाजपुर व गदरपुर विकासखण्डों में अब्बासी मुस्लिम समुदाय अधिवासित हैं। हल्द्वानी व काठगोदाम में अब्बासी जाति की लगभग 1500 जनसंख्या निवासरत् हैं। जो की पिछड़ी जाति के अर्न्तगत आती हैं। इस समुदाय की स्थिति सुधारने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। जिससे इनकी स्थिति में कुछ सुधार किए जा सके।

व्यवसाय-

उत्तराखण्ड में अब्बासी समुदाय एक भूमिहीन समुदाय है। पानी की आपूर्ति करने के अलावा समुदाय मजूदरी कार्य में शामिल है। अब्बासी मुस्लिम समुदाय त्यौहारों और धार्मिक सभाओं के दौरान पेयजल भी प्रदान करते थे। पानी पिलाकर लोगो की मदद करना ही इनका परम्परागत कार्य होता था। इस मदद के बदले में लोगो द्वारा जो भी पैसे दिये जाते थे, वे उसी से अपनी जिन्दगी की आवश्यकताएं पूरी किया करते थे। इससे अन्य इनका कोई दूसरा आय का स्त्रोत नहीं होता था। परन्तु वर्तमान में इनका पारम्परिक व्यवसाय लगभग खत्म हो चुका है। अब इस समुदाय के अधिकांश लोग स्वरोजगार वयवसाय जैसे- बढ़ई, फलों व सब्जियों की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की दुकान, मोबाइल की दुकान, ठेका श्रमिक, डेयरी, होम डेकोरेट्रस, घरेलू राशन की दुकान, मजदूरी, तथा व्यापार सम्बन्धी गतिविधियों में लगे हुए हैं। नियमित वेतनभोगी, नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी खासकर सरकारी अथवा बड़े सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में बहुत ही कम है। इनकी हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा है, जहाँ कार्य परिस्थिति अच्छी नहीं है।

शिक्षा-

व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता हैं। शिक्षा मनुष्य के जीवन में अच्छे विचारों को भरती है। शिक्षा मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित करने का कार्य करती है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञानवान बनाती है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण होती हैं। परन्तु अब्बासी मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की स्थिति दयनीय रही है। औपचारिक शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण आंशिक रूप से लड़कों के अनुकूल था और लड़कियों के लिए प्रतिकूल। लड़कियां को शिक्षा नही दिलाने के बहुत से कारण हो सकते है जैसे- गरीबी, कम उम्र में विवाह, बच्चों की अधिक जनसंख्या, अशिक्षा आदि।

वर्तमान में इस दृष्टिकोण में अन्तर देखने को मिल रहा है। अब लड़कियों को शिक्षा दिलाने की तरफ लोगो का रूझान दिखाई पड़ रहा हैं। अब लड़कियाँ माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर पा रही हैं। इस समुदाय में लड़के आमतौर पर माध्यमिक स्तर तक पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा तक इनकी पहुँच अभी भी बहुत कम दिखाई देती हैं। इसका मुख्य कारण परिवार की सहायता करना हो सकता हैं।

प्रमुख त्यौहार-

अब्बासी मुस्लिम समुदाय में मोहर्रम, 12 रवीउल अव्वल, कूंडे, ग्यारहवीं शरीफ, शब-ए-बरआत (बरकतो वाली रात), ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा प्रमुख उत्सव एवं त्यौहार मनाए जाते हैं। वर्तमान में इन सभी त्यौहारों के स्वरूप में कुछ ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला हैं। पहले जिन विधि-विधान (रस्मों - रिवाज़ो) और उत्साह के साथ यह त्यौहार मनाए जाते थे, अभी भी वैसे ही मनाए जाते हैं। रस्मों और धार्मिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती हैं। हालांकि वे इन त्यौहारों का पुरूषों की

Scanned with OKEN Scanner

तुलना में अधिक आनन्द नहीं ले पाती हैं। इस समुदाय में मुंडन समारोह भी मनाया जाता है। खतना मुस्लिम नाई द्वारा किया जाता है। इसके लिए उसे (नाई) नकद पैसे और उपहार दोनो दिए जाते हैं।

विवाह-

अब्बासी मुस्लिम समुदाय का प्रत्येक कार्य मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ कुरान शरीफ के अनुसार चलता है। मुस्लिम में जिसे शरीयत के नाम से जाना जाता है और इस शरीयत के अनुसार विवाह एक सामाजिक समझौता है, जिसका उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति कर बच्चो को वैध रूप प्रदान करना है। इनके यहाँ विवाह को निकाह कहा जाता है, जो दो पुरूष गवाहों या एक पुरूष और दो स्त्री गवाहों के मध्य सम्पन्न होता है। अमीर अली ने कहा कि "मुस्लिम विवाह एक संविदा है जिसमें न तो पुरोहित की और न ही किसी कर्मकाण्ड की आवश्यकता होती है"[8]।

एक अब्बासी के जीवनकाल में जन्म, विवाह एवं मृत्यु तीन ही पड़ाव है। अब्बासी समुदाय में विवाह एक लम्बी प्रक्रिया है। जिसमें मंगनी अथवा विवाह का प्रस्ताव, माय्यों एवं रतजगा, हल्दी, मंडा, सहरा बंधाई, जूता चुराई, सलामी, रूख्सती (विदाई), लड़की (दुल्हन) की मुंह दिखाई, दावत-ए-वलीमा, चौथी तथा गौना आदि चरण सम्मिलित हैं।

मेहर-

अब्बासी मुस्लिम विवाह के अनिवार्य तत्वों में मेहर की भेंट भी सम्मिलित है। 'मेहर' वह धनराशि अथवा सम्पत्ति होती है, जो पति विवाह के लिए पत्नी को देता है। यदि मेहर भेंट न की जाए या मेहर देने का वचन न दिया जाए तो, विवाह वैध नहीं होता। मेहर की रकम प्रायः विवाह के पूर्व या विवाह के समय निश्चित की जाती है। मेहर पर केवल लड़की का अधिकार होता है और यह मेहर लड़की को ही दिया जाता है न कि उसके माता पिता को। अब्बासी मुस्लिम समुदाय में मेहर चार प्रकार का होता है।

1.निश्चित मेहर
2. उचित मेहर या मेहर उल मिस्ल
3. सत्वर मेहर
4.स्थगित मेहर

धार्मिक आधार :-

अब्बासी मुस्लिम समुदाय के परिवार शरीयत (पवित्र ग्रन्थ कुरान) में बताए गए नियमों पर आधारित हैं। कुरान मुसलमानों का धार्मिक ग्रन्थ हैं। पवित्र ग्रन्थ कुरान परिवार के लोगो को नमाज पढ़ने, रोजा रखने, हज करने एवं जकात (दान) देने का आदेश भी देता हैं। अब्बासी मुस्लिम परिवार में धर्म की प्रधानता पाई जाती है।

उपर्युक्त आधारों पर अब्बासी मुस्लिम समुदाय के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अब्बासी समुदाय के लोग सभी कार्य शरीयत के अनुसार करते हैं। इस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति दयनीय हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1- Central List Of OBCs For The State Of Uttarakhand 73-Saqqa-Bhisti, Bhisti-Abbasi 12015/13/2010-B.C II. Dt. 08/12/2011

2- अली, हसन, 'ऐलिमेन्ट्स ऑफ कास्ट एमंग दा मुस्लिम इन ए डिस्ट्रीक इन साउर्थन बिहार', मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1978.

3- करीम, नजमुल, ए. के. 'चेन्जिंग सोसाइटी इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान', डक्का पब्लिकशन, बांग्लादेश, 1956.

4- कनिंघम, जे. डी. 'हिस्टरी ऑफ सिक्ख', ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, P. 31, 1849.

5- करीम, नजमुल, ए. के. 'चेन्जिंग सोसायटी इन इण्डिया एण्ड पाकिस्तान', डक्का पब्लिकशन, बांग्लादेश 1956.

6- सक्सेना, आर. एन. "भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाये", कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क,

Scanned with OKEN Scanner

7- आचार्य, अमितांगशू, "ए भिश्ती रूल्ड एन एम्पायर वन्स",https://www.thehindu.com/society/history and culture/a bhisti ruled an empire once/article24601760.ece 2018.
8- अन्सारी, घोष, 'मुस्लिम कास्ट इन उत्तर प्रदेश ए स्टडी इन कल्चर कान्टेक्ट', लखनऊ, 1960.
9- अली, अमीर, 'द स्प्रीट आफॅ इस्लामःए हिस्ट्री आफॅ दा एवोल्यूशन एन्ड आइडल्स ऑफ इस्लाम', 1891.
10- अग्रवाल, प्रताप, 'कास्ट हाइरारकि इन ए मेव विलेज इन राजस्थान', मनोहर पब्लिकेशन, दिल्ली, 1971.
11- सिद्दीकी, एम. के. ए. 'कास्ट एमंग द मुस्लिम ऑफ कलकत्ता' इन इम्तियाज अहमद (सम्पादकीय), कास्ट एण्ड सोशल स्र्टाटिफिकेशन्स एमंग द मुस्लिम मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1973.
12- मोमिन ए.आर. 'मुस्लिम कास्ट इन एन इन्डस्ट्रीयल टाउनशिप ऑफ महाराष्ट्र इन इम्तियाज अहमद (सम्पादित) कास्ट एण्ड सोशल स्र्टाटिफिकेशन्स एमंग मुस्लिम इन इण्डिया', मनोहर पब्लिकेशन, दिल्ली, P-170-140, 1973.
13- जैन, एस. पी. 'कास्ट स्र्टाटीफिकेशन एमंग मुस्लिम इन ए टाडनशिप इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश', नैशनल पब्लिकेशन, दिल्ली, 1975.
14- सूजा, डी.'स्टेटस गुरप एमंग दा मोपला ऑफ दा साउथ वेस्ट कास्ट ऑफ इण्डिया', मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1975.
15- भूषण, बृज, जमीला, 'मुस्लिम वूमेन, इन परदाह एण्ड आउट ऑफ इट, विकास पब्लिकेशन', हाउस प्राइवेट, नई दिल्ली, 1980.
16- अहमद, इम्त्यिज, 'कास्ट एण्ड सोशल स्टेटिफिकेशन एमंग मुस्लिम इन इण्डिया', मनोहर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989.
17- घनश्याम, शाह, 'कास्ट एण्ड डेमोक्रेटिव पॉलिटिक्स इन इण्डिया" परमानेन्ट ब्लैक, नई दिल्ली, 2002.
18- प्रताप, राकेश, 'शोध प्रबन्ध मुस्लिम पिछड़ा वर्गः मोमिन अंसार की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति', गोरखपुर (उ0प्र0), 2010.

Scanned with OKEN Scanner